प्रेस विज्ञप्ति

राज्य वित्त 2023–24 प्रकाशन का विमोचन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा *राज्य वित्त 2023–24* प्रकाशन के द्वितीय संस्करण का विमोचन 31 दिसंबर 2025 को किया गया। *राज्य वित्त 2022–23* के प्रथम संस्करण पर आधारित यह प्रकाशन देश के 28 राज्यों के वित्त का एक समेकित एवं लेखा-परीक्षित विवरण प्रस्तुत करता है, जिससे 2014-15 से 2023-24 की दस वर्षीय अवधि में अंतर-राज्यीय तथा कालानुक्रमिक विश्लेषण संभव हो सकेगा। यह प्रकाशन, जो राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक वित्त एवं विनियोग लेखाओं तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों से भिन्न है, विभिन्न राज्यों के तुलनीय एवं लेखा-परीक्षित वित्तीय आँकड़ों को एक ही सुलभ दस्तावेज़ में समाहित करता है, जो नीति-निर्माताओं, सार्वजनिक वित्त प्रबंधकों, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक जगत तथा अन्य हितधारकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

राज्य वित्त 2023–24 प्रकाशन में विश्लेषणात्मक कवरेज को उल्लेखनीय रूप से विस्तारित किया गया है। राजस्व, व्यय, घाटा, सार्वजनिक ऋण, लोक लेखा दायित्वों तथा गारंटियों से संबंधित समष्टि-आर्थिक संकेतकों के अतिरिक्त, इस संस्करण में नए सूक्ष्म स्तर के विश्लेषण भी सम्मिलित किए गए हैं। इनमें राज्यों की स्वयं की कर आय (SOTR) तथा उसके घटकों का विस्तृत परीक्षण, सब्सिडियों एवं उनकी संरचना का विश्लेषण, तथा प्रतिबद्ध व्यय का विस्तारित आकलन, जिसमें वेतन, पेंशन भुगतान, ब्याज एवं वेतन संबंधी अनुदान सहायता प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले दस वर्षों की अवधि में राज्यों के व्यक्तिगत जमा (Personal Deposit) खातों एवं आकस्मिक अमूर्त (Abstract Contingent) बिलों का मूल्यांकन, तथा राज्यों की तरलता स्थिति को दर्शाने वाले वेज़ एंड मीन्स एडवांस (WMA) की केंद्रित समीक्षा भी प्रस्तुत की गई है।

यह प्रकाशन छह अध्यायों में संरचित है, जिनमें प्राप्तियाँ, व्यय, व्यय का वर्गीकरण (टैक्सोनॉमिक वर्गीकरण), सार्वजनिक ऋण एवं लोक लेखा दायित्व, तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संकेतक सम्मिलित हैं। प्रकाशन में दस वर्षीय राज्य-वार वित्तीय आँकड़ों को प्रस्तुत करने वाले विस्तारित परिशिष्ट भी शामिल किए गए हैं। यह संस्करण केंद्र और राज्यों में व्यय के एक सामान ऑब्जेक्ट हेड्स के सामंजस्य एवं युक्तिकरण की आवश्यकता पर भी बल देता है, जिसे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2027–28 से अपनाए जाने की सलाह दी गई है, ताकि लंबे समय से चली आ रही गैर-एकरूप वर्गीकरण की समस्याओं का समाधान हो सके और ऑब्जेक्ट हेड स्तर पर सार्वजनिक व्यय की तुलनीयता में सुधार किया जा सके।

सुलभता एवं उपयोगिता को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से, *राज्य वित्त 2023–24* प्रकाशन के साथ इंटरएक्टिव डैशबोर्ड एवं डेटा विज़ुअलाइज़ेशन टूल्स भी विकसित किए गए हैं, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह प्रकाशन एवं डैशबोर्ड मिलकर वित्तीय पारदर्शिता को

बढ़ावा देने, साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को समर्थन देने तथा देश में सार्वजनिक वित्त पर विमर्श को सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं।

*****

CAG of India, Deputy CAGs and Senior Officers releasing the 2nd edition of Publication on State Finances 2023-24 in New Delhi on 31.12.2025

BSC/IK/119-120/25